

उत्तराखण्ड शासन
श्रम अनुभाग
संख्या:- 316 / VIII / 19-228(श्रम) / 2001-पार्ट-II
देहरादून, दिनांक: ०४ मार्च, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा(1) का खण्ड (i) के सपष्टित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 351 / VIII / 13-228 (श्रम) / 2001, दिनांक 06 मार्च, 2013 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से (1) उत्तराखण्ड में लोक मोटर परिवहन (2) उत्तराखण्ड में यांत्रिक परिवहन कर्मशाला (3) उत्तराखण्ड में आटोमोबाइल रिपेयर्स के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्रमांक | कर्मचारियों की श्रेणी | देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रूपयों में) |
|---------|-----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | अकुशल | 8331 |
| 2 | अर्द्धकुशल | 8924 |
| 3 | कुशल | 9518 |
| 4 | लिपिक वर्गीय कर्मचारी | 10520 |
| | (क) श्रेणी-एक | |
| | (ख) श्रेणी-दो | 9772 |

टिप्पणी— कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट में दिया गया है।

1— विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार ($2001=100$) के 301 अंक पर होंगी।

2— परिवर्तनीय महंगाई भत्ता :— अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ($2001=100$) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3— मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के $1/26$ से कम न होगी।

4— घंटेवार दर, दैनिक दर के $1/6$ से कम न होगी।

5— ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनुरूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

५/३/१९

५३८
१६/३/१९

6— मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।

7— जहाँ किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8— ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी समिलित है।

9— यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

10— किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट

1. अकुशल—

अर्दली, भिस्ती, मोची, चेम्बर सेवक, कोषागार चपरासी, गाड़ी धोने वाला, लोडर्स, अनलोडर्स, स्टोर मजदूर, हज्जाम, कुली, ऑफिस ब्याय, चौकीदार, सफाई मजदूर, पेट्रोल पम्प अटेन्डेन्ट और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल—

ग्राइन्डर, बोरिंग मैन, सहायक पेन्टर, रेडियेटर रिपेयरर, वेल्डर, लोहार, सहायक फीटर, सहायक मैकेनिक, कण्डक्टर, दफ्तरी, जमादार, बण्डल उठाने वाला, दफादार और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

3. कुशल—

सर्विस मैन, वर्कशाप सुपरवाईजर, मैकेनिक, ड्राईवर, टर्नर, फ्यूल इंजक्शन, पंच मैन, पेन्टर, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, लेथ मैन, एयर कण्डीशनर मैकेनिक, गेट सार्जन्ट, टीनकार, कम्पाउण्डर, पर्यवेक्षक, सहायक स्टोर कीपर, बढ़ई, बल्कनाइजर, सोफासाज और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी—

(क) लिपिक श्रेणी—दो— न्यूनतम शैक्षिक अहता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करते हुए पाँच वर्ष न हुए हो।

सहायक लेखाकार, लेखाकार, क्लर्क कम टाईपिस्ट, मेला मैन, एकाउंट क्लर्क, आउट ऐजेन्सी क्लर्क, कैशियर, असिस्टेन्ट गोडाउन कीपर, अधीक्षक प्राप्ति और प्रेषण, स्टोर कीपर, प्रगति जांचकर्ता, केन्द्र प्रभारी (स्टेशन इंचार्ज/मास्टर), यातायात निरीक्षक, समयपाल और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) लिपिक श्रेणी—एक— न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य करने का पाँच वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो।

यातायात अधीक्षक, स्टेशन अधीक्षक, प्रबंधक, वर्क्स इंचार्ज, ओवरसियर, फोरमैन, हेड क्लर्क, आशुलिपिक, ज्येष्ठ लेखाकार, नक्शा नबीस, गोडाउन कीपर, हेड रोकड़िया, स्टोर अधीक्षक और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्या:- 316 (1)/VIII/19-228(अम)/2001-पार्ट-II, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढवाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आशा से,
(देवमन्द्र सिंह चहान)
अनु सचिव।